न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 4/2021 (Bank Case)
GCMS No. 2021/6

"इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड" जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विकास सिंह राठौड पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड जिसकी शाखा कार्यालय पहली मंजिल 10–डी, पंजवानी कॉम्पलैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने गुमानपुरा, कोटा–324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत कार्यालय– प्लॉट नं. 15, 6th फ्लोर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा–122002

– प्रार्थी /सिक्योरक्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति ममता बाई पत्नि श्री हेमराज, निवासी–वार्ड नं0 42, मोहल्ला नया भदाना, रंगपुर रोड के पास, जिला–कोटा 324002 (राज.)
2. श्री रामलाल पुत्र श्री मोडूलाल निवासी–वार्ड नं0 42, मोहल्ला नया भदाना, रंगपुर रोड के पास, जिला–कोटा–324002 रामचन्द्रपुरा, कोटा–324007, राज0
3. श्री विजेन्द्र पुत्र श्री रामलाल, निवासी वार्ड नं0 42, मोहल्ला नया भदाना, रंगपुर रोड के पास, जिला कोटा–324002 (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 27.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड" जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विकास सिंह राठौड पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड जिसकी शाखा कार्यालय पहली मंजिल 10–डी, पंजवानी कॉम्पलैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने गुमानपुरा, कोटा–324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत कार्यालय– प्लॉट नं. 15, 6th फ्लोर, इन्स्टीटूशनल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा–122002 में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.03.2015 को रूपये 4,00,000/–(अक्षरेः रूपये चार लाख, मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति वार्ड नं0 42, भदाना, तहसील–लाडपुरा, कोटा स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 855 स्क्वायर फुट है, जिसका पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा क्रमांक 2013/19 दिंनाक 23/01/13 से श्री रामलाल पुत्र श्री मोडू लाल के नाम से है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज0)

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

खाते को दिनांक. 31.08.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 3,75,201/– (अक्षरे रूपये तीन लाख पचहत्तर हजार दो सौ एक मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.03.2019 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 11.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व द इकोनोमिक टाईम्स में दिनांक 16.03.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 11.03.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व द इकोनोमिक टाईम्स में दिनांक 16.03.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 11.03.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व द इकोनोमिक टाईम्स में दिनांक 16.03.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति वार्ड नं0 42, भदाना, तहसील–लाडपुरा, कोटा स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 855 स्क्वायर फुट है, जिसका पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा क्रमांक 2013/19 दिनांक 23/01/13 से श्री रामलाल पुत्र श्री मोडू लाल के नाम से है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया ।

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)